न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर.के. जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
अपील नम्बर :– 32/2021 (जी.सी.एम.एस. नं0 2021/32)

उनवानी प्रकरण :–
शिवचरन पुत्र बीधा जाति काछी निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
————————अपीलान्ट

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
———————— रेस्पोडेण्ट

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.12.2018 तहसीलदार सैपऊ प्र.सं. 524/2018 उनवानी सरकार बनाम शिवचरन अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–
1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री हरिवीरसिंह अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय **दिनांक :– 07..03.2022**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार सैपऊ के निर्णय दिनांक 26.12.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सम्बत 2075 रवी में आराजी खसरा नम्बर 2119 रकवा 1बीधा 13 विस्वा में से रकवा 1वीधा 10 विस्वा, 2122 रकवा 3 विस्वा, 2123 रकवा 15 विस्वा में से 2 विस्वा बॉके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर पर अपीलान्ट को पश्चात बर्ती अतिकमी मानते हुये लगान का 50 गुना शास्ती आरोपित कर बेदखल करने तथा तीन माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिनांक 26.12.2018 को पारित किया है उक्त आदेश से असन्तुष्ठ होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि उपरोक्त खसरा

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

नम्बरान 2119 रकवा 1 बीधा 13 विस्वा, 2123 रकवा 15 विस्वा बांके ग्राम तसीमों अपीलान्ट के पूर्व पुरूष स्व0 ग्यासी पुत्र गोधना को सम्बत 2025 से कब्जा होने के कारण उनके हक में दिनांक 14.12.1973 को आवंटन कमेटी ने पुराने कब्जे के आधार पर नियमन कर दिया था नियमन आदेश का नोट तहसील राजस्व लेखागार के रजिस्टर में दर्ज हुआ लेकिन नियमन के तहत राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के पूर्व पुरूष ग्यासी का नाम दर्ज नहीं हो पाया जिससे उसके नाजायज कब्जे को पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करता रहा और आराजी सिवायचक बनी रही जबकि उसके नाम का इन्द्रांज बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज होना चाहिऐ स्व0 ग्यासी जब तक जिन्दा था तब तक विवादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता रहा स्व0 ग्यासी के निधन के बाद विवादित आराजी पर अपीलान्ट की माता स्व0 रामश्री एवं पिता स्व0 बीधा निंबिवाद रूप से काबिज होकर काश्त करते रहे। अपीलान्ट के माता-पिता यह समझते रहे कि बिवादग्रस्त आराजी उनकी खातेदारी की आराजी हैं सन 1995 में गॉव तसीमों के ही नत्थी पुत्र गोकुला एवं किरोरी पुत्र हुक्मी ने अपीलान्ट के माता पिता को जानकारी दी कि बिवादग्रस्त आराजी उनके नाम आवंटन हो चुकी है तब अपीलान्ट के माता पिता ने जानकारी की तो पता चला कि नत्थी एवं किरोरी ने गुपचुप तरीके से दिनांक 14.7.1995 को आवंटन आदेश दिनांक 2.6.1989 के आधार पर नामान्तकरण करा लिया है जो गलत एवं बिधि बिरूद्व है जिसके बिरूद्व अपीलान्ट की माताजी रामश्री द्वारा न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में एक अपील आवंटन कमेटी का आंवटन आदेश दिनांक 2.6.1989 के बिरूद्व की जिस पर न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने दिनांक 23.3.2002 को निर्णय करते हुये अप्रार्थी नत्थी एवं किरोरी के आवंटन आदेश दिनांक 2.6.1989 निरस्त कर दिया। न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा आवंटन दिनांक 2.6.1989 निरस्त किये जाने के बाद अपीलान्ट के परिवार को हैरान परेशान के लिये नत्थी एवं किरोरी के वारिसान द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में एक निगरानी 1717/2003 प्रस्तुत कर दी जिसका माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.6.2017 को निर्णय करते हुये पहले म्याद के बिन्दु पर निर्णित किये जाने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर को प्रतिप्रेषित कर दी जो वर्तमान में बिचाराधीन है। इस प्रकार बिवादग्रस्त आराजी से सम्बधित प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान जी के अपीलेट कोर्ट में बिचाराधीन है उसके वावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवादग्रस्त आराजी की जॉच कराये एवं अपीलान्ट के बिरूद्व 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही

(राके0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

की है जो बिधि बिरूद्व है काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत तामील नहीं कराई ना ही अपीलान्ट पर किसी भी प्रकार का कोई सम्मन तामील हुआ है ना ही अपीलान्ट को सुना गया अपीलान्ट को सुनवाई का बिना अवसर दिये हुये अपीलान्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये निर्णय पारित किया है जो काबिल खारिजी हैं। तहसीलदार सैपऊ ने जो निर्णय पारित किया है उस निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को किसी भी प्रकार नहीं रही पुलिस थाना सैपऊ का एक सिपाही दिनांक 22.1.2019 को अपीलान्ट के घर पर आया और घर वालो को बता कर गया कि तहसीलदार सैपऊ द्वारा शिवचरन की तीन माह की सजा कर दी है तब अपीलान्ट ने तहसील जाकर पता किया एवं निर्णय की नकल दिनांक 23.1.2019 को प्राप्त की नकल प्राप्त होने के बाद अपील बिना देरी के न्यायालय श्रीमान के यहॉ प्रस्तुत की जा रही है अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी ।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.12.2018 की प्रमाणित प्रति, फोटोप्रति नकल निर्णय दिनांक 16.6.2017, फोटोप्रति नकल निर्णय दिनांक 2.6.1989, फोटोप्रति प्रार्थना पत्र टी.आर.ए. रिपोर्ट तहसील सैपऊ पेश की है।

उभय पक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी अपीलाान्ट के पूर्व पुरूष स्व0 ग्यासी पुत्र गोधना को सम्बत 2025 से कब्जा होने के कारण उनके हक में दिनांक 14.12.1973 को आवंटन कमेटी ने पुराने कब्जे के आधार पर नियमन कर दिया था नियमन आदेश का नोट तहसील राजस्व लेखागार के रजिस्टर में दर्ज हुआ लेकिन नियमन के तहत राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के पूर्व पुरूष ग्यासी का नाम दर्ज नहीं हो पाया जिससे उसके नाजायज कब्जे को पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करता रहा और आराजी सिवायचक बनी रही। सन 1995 में गॉव तसीमों के ही नत्थी एवं किरोरी ने गुपचुप तरीके से दिनांक 14.7.1995 को आवंटन आदेश दिनांक 2.6.1989 के आधार पर नामान्तकरण करा लिया है जो गलत एवं बिधि बिरूद्व है जिसके बिरूद्व

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अपीलान्ट की माताजी रामश्री द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में एक अपील आवंटन कमेटी का आंवटन आदेश दिनांक 2.6.1989 के बिरूद्व पेश की जिस पर न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने दिनांक 23.3.2002 को निर्णय करते हुये अप्रार्थी नत्थी एवं किरोरी के आवंटन आदेश दिनांक 2.6.1989 निरस्त कर दिया। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा आवंटन दिनांक 2.6.1989 निरस्त किये जाने के बाद नत्थी एवं किरोरी के वारिसान द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में एक निगरानी 1717/2003 प्रस्तुत कर दी जिसका माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.6.2017 को निर्णय करते हुये पहले म्याद के बिन्दु पर निर्णित किये जाने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर को प्रतिप्रेषित कर दी जो वर्तमान में बिचाराधीन है। बिवादग्रस्त आराजी से सम्बधित प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान जी के अपीलेट कोर्ट में बिचाराधीन है उसके वावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवादग्रस्त आराजी की जॉच कराये एवं अपीलान्ट के बिरूद्व 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की है जो बिधि बिरूद्व है काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत तामील नहीं कराई ना ही अपीलान्ट पर किसी भी प्रकार का कोई सम्मन तामील हुआ है ना ही अपीलान्ट को सुना गया अपीलान्ट को सुनवाई का बिना अवसर दिये हुये अपीलान्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये निर्णय पारित किया है जो काबिल खारिजी हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि नियमन की कार्यवाही पृथक से की जाती है। वर्तमान में विवादित आराजी राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है। अपीलान्ट् की विवादित भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत है। अपीलान्ट पर नोटिस की तामील विधिवत रूप से हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है परन्तु उनके द्वारा कोई जबाव व साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2018 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि विवादित आराजी अपीलान्ट के पूर्व पुरूष स्व0 ग्यासी पुत्र गोधना को सम्बत 2025 से कब्जा होने के कारण उनके हक में दिनांक 14.12.1973 को आवंटन कमेटी ने पुराने कब्जे के आधार पर नियमन कर दिया था नियमन आदेश का नोट तहसील राजस्व लेखागार के रजिस्टर में दर्ज हुआ लेकिन नियमन के तहत राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के पूर्व पुरूष ग्यासी का नाम दर्ज नहीं हो पाया और आराजी सिवायचक बनी रही। सन

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

1995 में गॉव तसीमों के ही नत्थी एवं किरोरी ने गुपचुप तरीके से दिनांक 14.7.1995 को आवंटन आदेश दिनांक 2.6.1989 के आधार पर नामान्तकरण करा लिया है जो गलत एवं बिधि बिरूद्व है जिसके बिरूद्व अपीलान्ट की माताजी रामश्री द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में एक अपील आवंटन कमेटी का आंवटन आदेश दिनांक 2.6.1989 के बिरूद्व पेश की जिस पर न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने दिनांक 23.3.2002 को निर्णय करते हुये अप्रार्थी नत्थी एवं किरोरी के आवंटन आदेश दिनांक 2.6.1989 निरस्त कर दिया। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा आवंटन दिनांक 2.6.1989 निरस्त किये जाने के बाद नत्थी एवं किरोरी के वारिसान द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में एक निगरानी 1717/2003 प्रस्तुत कर दी जिसका माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.6.2017 को निर्णय करते हुये पहले म्याद के बिन्दु पर निर्णित किये जाने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर को प्रतिप्रेषित कर दी जो वर्तमान में बिचाराधीन है। बिवादग्रस्त आराजी से सम्बधित प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान जी के अपीलेट कोर्ट में बिचाराधीन है उसके वावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवादग्रस्त आराजी की जॉच कराये एवं अपीलान्ट के बिरूद्व 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की है जो बिधि बिरूद्व हैं। इस प्रकार अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है। अपीलान्ट नियमन पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहते है। विधि अनुसार धारा 91 कार्यवाही अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं दिए जा सकते है, अपीलान्ट यदि प्रश्नगत भूमि पर अपना अधिकार मानते है तो सक्षम न्यायालय से धोषणा कराने को स्वतन्त्र है। हमारे समक्ष यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट का बिना कोई वैध अधिकार कब्जा है। अतः हम आक्षेपित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। *उपरोक्त विवेचन आधार पर हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।*

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 07-.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर
जिला कलक्टर, धौलपुर